24.8.18 पत्रावली पेश हुई वकील उप. बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि के अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं एवं मौका रिपोर्ट मे दर्शाए गये A से E रास्ता सबसे निकटतम एवं न्यूनतम है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो

[illegible]

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—404 / 2019

प्रार्थीनीः— तुलसीदेवी पत्नी श्री सुखाराम, जाति जाट निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थीगणः—

1. किशनाराम पुत्र श्री सिरदाराराम
2. पदमाराम पुत्र श्री सिरदाराराम
3. हेमाराम पुत्र श्री सिरदाराराम
   जातियान जाट निवासी चण्डालिया
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
4. तिलाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली निवासी रामपुरा भाटियान हाल निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
5. गोमी पत्नी श्री किसनाराम
6. मोहनी पत्नी श्री पदमाराम
7. देवाराम पुत्र श्री सुखाराम
   जातियान जाट निवासी चण्डालिया
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
8. जीताराम पुत्र श्री मोहनराम
9. प्रेमाराम पुत्र श्री मोहनराम
   जाति ढाली निवासी चण्डालिया
   तहसील तिंवरी, जला जोधपुर।
10. श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

प्रार्थीनी की ओर सेः— अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 से 6, 8 व 9 की ओर से:-अधिवक्ता श्री चेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 10 ओर से सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांक:– 24.8.2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– यह हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा मौजा ग्राम चण्डालिया पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का एक काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीया के उक्त भूमि के पश्चिमी दिशा में थोड़ी दूरी पर कटाणी रास्ता चलता है। प्रार्थीया की भूमि व कटाणी रास्ते के मध्य खसरा नम्बर 95 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 101 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है। इस भूमि के पश्चिमी तरफ कटाणी रास्ता चलता है। जिस तक आवागमन हेतु प्रार्थीया का अप्रार्थीगण की भूमि में से एक रास्ता चलता है जो कि प्रार्थीया के खेत से सबसे नजदीक निकटतम व लघुतम है। प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं चलता है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी के खेत के पश्चिमी दिशा में आई हुई है उक्त भूमि की पश्चिमी दिशा में कटाणी रास्ता है एवं कटाणी रास्ते तक आने हेतु प्रार्थीया का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से चलता है जिसे नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाया गया है जो प्रार्थीया का लघुतम व निकटतम रास्ता है। जहां से प्रार्थीया व उसके परिवार वाले आवागमन करते है तथा कृषि उपकरण खाद बीज, चारा इत्यादि इसी रास्ते से लाते व ले जाते है। जो प्रार्थीया के लिए सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है। उक्त रास्ता पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से उक्त

Scanned with CamScanner

रास्ते को बन्द कर देते है जिससे प्रार्थीया को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चण्डालिया में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 101 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 20 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दिये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाकर नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई उपस्थित अप्रार्थी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि प्रार्थीनी की भूमि के पश्चिमी तरफ कोई कटाणी रास्ता आया हुआ नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थीया का कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता पूर्वी तरफ से चलता है जो मौके पर चालु है व प्रार्थीया पूर्वी तरफ रास्ते से आवागमन कर रही है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में पूर्वी तरफ चलने वाले रास्ते के फोटो ग्राफ्स पेश किये तथा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में नजरी नक्शा पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अलग–अलग मार्क दर्शाकर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना बताया।

यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की गई। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 102 में आवागमन हेतु प्रार्थीनी द्वारा मांगे गये रास्ते जो नजरी नक्शे में दर्शाये गये एबीसीडीई रास्ते के अलावा अन्य निकटतम व सुविधाजनक रास्ते का अभाव है। उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश की। जिस पर प्रार्थीनी अधिवक्ता को जवाब एवं बहस हेतु

सहायक कलेक्टर, भादरा

Scanned with CamScanner

अवसर दिया। आपत्ति पर बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, आई.एल.आर. को पुनः भेजकर आई से जी एवं सी से जी तक की दूरी एवं प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ते की दूरी में सबसे कम दूरी बाबत् रिपोर्ट हेतु आदेश दिया जिस पर आई.एल.आर. ने रिपोर्ट पेश की जिसे संलग्न पत्रावली किया जिसमें आई से जी के बीच की दुरी 580 गट्ठा, सी से जी के बीच की दूरी 570 गट्ठा एवं प्रार्थना पत्र के प्रस्तावित रास्ते ए से ई की दूरी 294 गट्ठा है।

यह है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीनी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रार्थीनी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के स्थान पर पहले से रास्ता चल रहा था जो अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु सबसे लघुतम व निकटतम रास्ता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अधिवक्ता प्रार्थीनी द्वारा अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा तथा फोटोग्राफ्स पेश किये है उक्त स्थान पर कोई रास्ता नहीं चल रहा था न ही वर्तमान में चालु है तथा जो रास्ता बताया है वह कहीं पर भी आगे कटाणी रास्ते पर नहीं लगता है। इसलिए अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जो फोटोग्राफ्स पेश किये है वे कपोल कल्पित व मनमर्जी से पेश किये है, जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीनी के पास में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मनमर्जी व पक्षपात पूर्वक रिपोर्ट पेश की है। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा एतराज किया गया था लेकिन बावजूद इसके यह रिपोर्ट पेश हुई है।

प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनी की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया ए से ई रास्ता सबसे निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। अप्रार्थीगण द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र नजरी नक्शा पेश किया है उस स्थान

सहायक कलेक्टर, डीडवाना

Scanned with CamScanner

पर लोगों की सीमा स्थिति में कोई वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं है। इसलिए प्रार्थी आवासीय की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। जो निजि तथा आवासीय प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है क्योंकि प्रार्थी की भूमि की स्थिति को देखते हुए अन्य कोई विकल्प न उपलब्ध रास्ता नहीं है तथा वर्तमान में प्रार्थी को रास्ते बाबत परेशानी उत्पन्न हो रही है।

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 102 ग्राम [illegible] में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 102, 96, 98/2, 99, 100, 101 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता नीला कलर में दर्शाये अनुसार घोषित किया जाता है जिसका रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा बाबत वर्तमान डी.एल.सी. दी की पूरा दर से प्रीमियम की राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा की जाकर तहसीलदार तिंवरी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को आदेश जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक [illegible] को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner